39

गया नगरपालिका तथा ज्वायंट वाटर वर्क्स कमेटी के विविध अनुभव

नगरपालिका के मेरे शासन-काल में एक दो मनोरंजक अनुभव और हुए जिनकी चर्चा भी अप्रासंगिक नहीं होगी। यद्यपि उनमें कोई विशेषता नहीं है परंतु मेरे जीवन के लिए तो वे स्मरणीय हैं ही।

मैंने अपने भवन के उत्तरी भाग में एक नयी दुकान का निर्माण कराया था। उसके पीछे की दुकान में एक स्वर्णकार मेरा किरायेदार था जिसके आगे 3-4 फीट जमीन छोड़कर यह नयी दुकान बनी थी। अभी इसमें किवाड़ भी नहीं लगे थे कि पीछेवाले किरायेदार स्वर्णकार ने रातोंरात अपनी तिजोरी इसमें रख दी। सुबह मैं यह देखकर हैरान हो गया और मैंने समझौते की दृष्टि से उसे सुझाया कि एक दो महीने उसे अपनी दुकान के आगे की इस दुकान में रहने की मैं अनुमति दे सकता हूँ परंतु बाद में उसे यह स्थान छोड़कर या तो पीछे की दुकान से संतोष करना होगा या नयी जगह खोज लेनी होगी। यह मेरा मूर्खता से भरा प्रस्ताव था क्योंकि एक बार रह लेने के बाद उसे खाली कराना आसान नहीं होता परंतु मुझसे भी बड़ी मूर्खता उसने इस शांति-प्रस्ताव को अस्वीकृत करके, की। नगरपालिका के सैंकड़ों सफाई कुली तो मेरे हाथ में थे ही। मैंने दूसरे दिन भोर में कुछ कुलियों को बुलाकर उसकी तिजोरी दुकान के बाहर करवा दी। खबर पाते ही वह दौड़ा हुआ आया और मुझसे उलझ गया। मेरे निकट खड़े नगरपालिका के जमादार ने उसे दो-चार थप्पड़ लगाकर दूर हटा दिया। उसने मुझपर और नगरपालिका के उस जमादार पर मारपीट का और चोरी का मुकदमा दायर किया जो कई महीने चला और अंत में मैं ससम्मान निर्दोष घोषित हुआ। इसमें सबसे मनोरंजक बात तो यह थी कि मेरे वकील ने जो नगर के सब से प्रमुख फौजदारी वक़ील थे, उससे जिरह में यह कहलवा दिया था कि उसने पुलिस में मारपीट की और चोरी की सूचना घर से जाते समय पहले ही, थाने में दर्ज करा दी थी। समझ में आने पर बाद में उसने कहा कि इसकी रिपोर्ट

उसने बाद में भी करायी थी। परंतु घटना के पहले ही यदि कोई घटना की सूचना दर्ज करा देता है तो उसकी असत्यता में क्या संदेह हो सकता है!

दूसरी मनोरंजक घटना है मेरे बड़े पुत्र आनंद के संबंध में जो उस समय 4÷5 वर्ष का था। वह इस समय डाक्टर है और उसीके साथ अमेरिका में मैं रहता हूँ। वह एकाएक गुम हो गया। वह बगल के घर में खेलने गया था और वहाँ अंदर के कमरे में जाकर खेलता हुआ सो गया था। किसीको इसका पता नहीं था। जब वह बहुत देर तक दिखाई नहीं दिया और कहीं भी उसके होने का पता नहीं चला तो यह संदेह हुआ कि उसे नगरपालिका के मेरे विरोधियों ने गुम न कर दिया हो। फिर क्या था! सारे नगरपालिका के शिक्षक और वार्ड के जमादार आदि जिनकी संख्या मिल-जुलकर हजार से ऊपर होगी रेलवे स्टेशन, बस-स्टेशन आदि शहर के नाकों के स्थानों पर उसे खोजते हुए चक्कर लगाने लगे। शहर में आग की तरह अफवाह फैल गयी कि गुलाब बाबू के लड़के का अपहरण हो गया है। नगरपालिका में प्रायः 150 प्राइमरी स्कूल चलाये जाते है जिनके शिक्षकों की संख्या हजार से ऊपर है। मैं विनोद में कहा करता था कि मैं शहर में जब भी घूमते हुए कहीं दृष्टि फिराता हूँ तो मुझे एकाध नगरपालिका का शिक्षक चाय की दुकान पर बैठा दिखाई दे जाता है। नगरपालिका के जमादारों के साथ-साथ शिक्षकों ने भी नगर को छान मारा। परंतु अंत में चार-पाँच घंटे बाद मेरा पुत्र इन सब बातों से अनभिज्ञ, आँखें मलता हुआ बगल के मकान के अंदर के कमरे से बाहर आ गया और लोगों की साँस में साँस आयी।

एक छोटी-सी घटना और है जो मेरी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती है। मेरे भवन के सामने की सड़क के दूसरी ओर पच्चीस-तीस टीन की छतवाली मिठाई और चाय की दुकानें थीं। उनमें से एक में एक सिंधी शरणार्थी की मिठाई की दुकान थी। दुकानों के पास थोड़ी दूर सड़क पर सार्वजनिक नल था जिससे सभी हलवाई पानी लेते थे। उस शरणार्थी ने किसी युक्ति से बिना मेरी अनुमति के अवैध रूप से अपनी दुकान में प्राइवेट नल लगवा लिया। सूचना मिलते ही मैंने पानीकल के सुपरिंटेंडेंट को फोन किया। उसकी साँठगाँठ से तो यह हुआ ही था, परंतु उसने कहा कि उस दुकानदार ने मेरा नाम लेकर उससे यह काम करवाया था। मैंने क्रोध से कहा कि यह सरासर झूठ है और आदेश दिया कि उसका नल-कनेक्शन तुरत काट दिया जाय। सुपरिंटेंडेंट से सारी बात की सूचना पाकर वह दुकानदार मेरे पास आया और बोला कि वह नल मैं स्वयं

देख लूँ। मैं जब उसकी दुकान के पीछे नल देखने पहुँचा तो वह पाँच सौ रुपयों के नोट मेरी और बढ़ाने लगा और बोला कि नल कट जाने से उसकी इज्जत धूल में मिल जायगी। मैं उसे रुपयों की घूस देते देखकर ग्लानि में डूब गया। मुझे उसके साहस पर आश्चर्य हुआ। मैंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि कोई मुझे घूस देने की बात सोच भी सकता है। मैंने उसे अपना सामने का विशाल भवन दिखाते हुए कहा, 'तुम शरणार्थी बनकर आये हो और अपनी छोटी-सी दुकान के सामने इस चारमंजिले भवन के स्वामी को घूस देने का साहस कर सकते हो, यह मेरे लिए लज्जा की बात है। मैं नल तो दुकान में लगवा दूँगा परंतु एक बार कट जाने के बाद ही। मैं तुम्हारी दुकान में ही नहीं सभी दुकानों में नल लगवा दूँगा ताकि सभी चाय और मिठाई के दुकानदारों को सहूलियत हो जाय। तुम्हें इसके लिए घूस देने की बात नहीं सोचनी थी।'

अंत में उसकी दुकान का नल कटवाने के एक महीने के अंदर मैंने अपने सामने की हर दुकान में एक स्वतंत्र नल लगवा दिया जिसके कारण दुकानदारों को सहूलियत तो हो ही गयी, अपने मुहल्ले में मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ गयी।

अपनी आदर्शवादिता का एक उदाहरण और दूँ। मेरे अधिकार-ग्रहण के पूर्व के प्रायः चौबीस लाख रुपये गया की नल व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा मिले हुए थे। मैं पहले बता चुका हूँ कि फल्गु नदी में लंबी दूर तक बालू को हटाकर पानी के कुंड बनाये जाते थे जिनसे पानी पंप किया जाता था और शहर में उसका वितरण किया जाता था। बरसात के दिनों में जब नदी में पानी की बाढ़ आती थी तो शहर का पानी, बहुत साफ किये जाने पर भी, मटमैला और अस्वच्छ रहता था जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ भी फैलती थीं। शहर में प्रायः 20 प्रतिशत व्यक्ति फाइलेरिया के मरीज थे। किसी का हाथ फूला दिखाई देता था तो किसी का पाँव हाथी के पाँव जैसा दिखता था। उक्त संकट से शहर को मुक्त करने और बोरिंग कराकर भूगर्भ-स्थित पानी को उपलब्ध कराने की योजना के लिए वे रुपये आवंटित थे फल्गु नदी के अंदर, शहर के प्रत्येक भाग की सीमा के अंदर बोरिंग कराने पर पत्थर की चट्टान मिलती थी। अंत में नदी के उस पार बोरिंग सफल हुई जो हमारे बाग की जमीन का भाग था। मैं जमीन मुफ्त में देने को तैयार था। परंतु उस पार से पानी पाइप द्वारा इस पार शहर में कैसे लाया जाय यह विकट समस्या थी क्योंकि बने हुए यातायात के पुल पर से लाने की अनुमति देना जन-सेवा विभाग को स्वीकार नहीं था और नया पुल बनाना संभव नहीं था। अंत में गया नगर क्षेत्र से दूर

दक्षिण में दंडीबाग मुहल्ले में और उत्तर में रामशिला पहाड़ी के पास की फल्गु की रेती में, नीचे चट्टान नहीं मिलने से भूगर्भ-गत जल का अजस्र स्रोत मिल गया और यह समस्या हल हो गयी। परंतु उचित मात्रा में बढ़े हुए पानी का वितरण करने के लिए सारे पुराने पाइपों को बदलना आवश्यक था। इसके लिए 5-6 लाख रुपयों की राशि भी इस मद में बच गयी थी। मैंने कहा कि मेरे सामने की सड़क पर की पाइप-लाइन सब से अंत में बदली जाय यद्यपि शहर के सब से ऊँचे मकान इसी सड़क पर थे। अंत में परिणाम वही हुआ जो ऐसे आदर्शवाद का हुआ करता है। नगरपालिका और वाटरवर्क्स के एकाएक अधिकृत कर लिए जाने के कारण मेरे सामने की जल-वितरण करनेवाली पाइप-लाइन वैसी की वैसी ही रह गयी जबकि शहर के सभी भागों में पुरानी सँकड़ी पाइप-लाइन हटाकर नयी ज्यादा बड़े घेरेवाली लगा दी गयी। मेरे मुहल्लेवाले आज भी मेरे इस आदर्शवाद का परिणाम भुगत रहे हैं और प्रायः सभी को अपने घरों में ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ाने के लिए अलग से बिजली के मोटर-पंप लगाने पड़े हैं।

मुझे केवल यही संतोष है कि पानीकल-विभाग द्वारा जहाँ 12 लाख गैलन पानी प्रतिदिन वितरित होता था, वहाँ मेरे ही समय में पूर्ण हुई इस योजना के द्वारा 72 लाख गैलन पानी प्रतिदिन वितरित हो सका था और वह भी नदी के ऊपर की बालू को हटाकर जैसा-तैसा जल नहीं, भूमि के 60 फुट नीचे प्रवाहित निर्मल स्रोत का अत्यंत निर्मल जल।

अपने नगरपालिका के कार्यकाल के एक और महत्त्वपूर्ण कार्य का विवरण देकर मैं यह प्रकरण समाप्त करूँगा यद्यंपि वह कार्य उच्च आदर्शों से प्रेरित था परंतु उसमें अंत में मुझे विफलता ही हाथ लगी थी।

नगरपालिका में प्रायः चार-पाँच सौ झाड़ू देनेवाले कर्मचारी, मेहतर और अन्य चतुर्थवर्ग के हरिजन कार्यरत थे। उनकी तनख्वाह तो अच्छी थी ही, पति और पत्नी दोनों कमाते थे अतः महीने के अंत में मध्यमवर्ग के कर्मचारी को जितने रुपये मिलते थे उससे अधिक ही वे पीट लेते थे। परंतु इतनी कमाई करने के बाद भी उनके पास एक पैसा भी नहीं बचता था और उनका जीवन-स्तर अत्यंत निम्न श्रेणी का था। उनके आवास-परिसर में हम लोग खड़े होना भी गवारा नहीं कर सकते थे। न तो अलग-अलग पाखाने और जल-कल की सुविधा, न उनकी सफाई का समुचित प्रबंध। मुझे इस विषय में जाँच करने पर पता चला कि उनकी तलब का अधिकांश हर महीने के प्रारंभ में तलब बाँटते समय हमारे जमादार जो तलब बाँटते थे काट लेते थे। वे 25 प्रतिशत माहवारी

ब्याज की दर पर उनके अधिकांश पैसे पिछले महीने के कर्ज में काटकर फिर नये सिरे से, 20 प्रतिशत या 25 प्रतिशत माहवारी ब्याज की दर से उन्हीं रुपयों में से कुछ रुपये उन्हें पुनः कर्ज दे देते थे। यह दुश्चक्र बरसों से चला आ रहा था और कर्ज देनेवाले अब तक उनसे अपने प्रारंभिक कर्ज के एवज में बीसों गुने ब्याज वसूल कर चुके थे। और कर्ज देने वाले कौन थे! वे हमारे ही वार्ड के उनसे काम लेनेवाले दर्सों वार्ड के 20-25 कर्मचारी। एक और व्यक्ति भी जो उन सरकारी कर्मचारियों के साथ इस दुष्कृत्य में लिप्त था, वह था मेहतर यूनियन का प्रधानमंत्री और मेहतरों का एकछत्र नेता, जमनाकांत। वह स्वयं तो कर्ज लगा नहीं सकता था, कर्मचारियों के द्वारा लगाये जानेवाले कर्ज में हिस्सेदार था और इस प्रकार प्रतिमास यूनियन के चंदे उगाहने के अतिरिक्त और मोटी कमाई कर लेता था। मैंने यह निश्चय किया कि महीने के अंत में एकाएक सभी वार्डों के जमादारों को हटाकर मेहतरों को उनकी तलब का भुगतान सीधे दफ्तर के कर्मचारियों द्वारा कर दिया जायगा और मेहतरों से कह दिया जायगा कि तुम्हारा सारा पिछला कर्ज नगरपालिका चुकायेगी, तुम्हें एक पैसा भी पिछले कर्ज में किसी जमादार को या अन्य कर्ज देनेवाले को नहीं देना है। यह कार्य अत्यंत गुप्त ढंग से किया जाना था और इसको जाननेवाले थे केवल मैं, मेरे अन्यतम सहयोगी रामकिशोर प्रसाद जिनकी सूक्ष्म बुद्धि का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ तथा स्वयं चेयरमैन राधामोहन प्रसाद जो मेरी प्रत्येक योजना में आँख मूँदकर सम्मिलित हो जाते थे। यद्यपि बोर्ड की मीटिंग में और स्थानीय पत्रिकाओं में उन पर मेरे नियंत्रण को लेकर गहरी फब्तियाँ भी समय-समय पर कसी जाती थीं, परंतु वे इससे कभी प्रभावित नहीं हुए थे।

इस योजना के अंतर्गत हमने गया के एस. पी. से तनख्वाहवाले दिन के लिए पुलिस की सहायता माँग ली और उस दिन सभी वार्डों के जमादारों को आफिस में बुलाकर बैठा लिया तथा आफिस के कर्मचारियों को तनख्वाह बाँटने का कार्य सौंप दिया, जिस कार्य को पहले हर वार्ड के जमादार अपने वार्ड के सफाई-कर्मियों के लिए करते थे और इस प्रकार ब्याज के रूप में उनकी तनख्वाह हड़प जाने का अवसर पा लेते थे।

जमादारों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं क्योंकि उनकी पूँजी तो डूब ही रही थी, आगे की आमदनी का रास्ता भी बंद हो रहा था। सब से दयनीय स्थिति थी सफाई-कर्मचारी-यूनियन के महामंत्री और सफाई-कर्मचारियों के सर्वमान्य नेता जमनाकांत की। मेरा यह कार्य सफाई कर्मचारियों के हित में था, इससे इन्कार

करना तो दूर, उसे तो इसका सहर्ष स्वागत भी करना था, परंतु अपनी पूँजी के नाश का और नियमित आमदनी के स्रोत के सूखने का उसे दुःख ही अधिक हो रहा था। उसकी दशा वही थी जिसके लिए गोस्वामीजी ने लिखा है --

चोर-नारि जिमि प्रकट न रोयी

मैंने सभी जमादारों से उनके बकाया कर्ज की लिस्ट माँग ली और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बकाया कर्ज की जाँच करके यदि वे अपना मूलधन ब्याज के रूप में नहीं पा चुके होंगे तो नगरपालिका से उन्हें उनका मूलधन चुका दिया जायगा। परंतु उन्हें यह चेतावनी और आदेश भी दे दिया गया कि किसी सफाई-कर्मचारी से वे एक पैसा भी वसूल करने की चेष्टा न करें। यदि ऐसा करेंगे तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जायगी और उन्हें अन्य प्रकार का दंड भी भोगना पड़ सकता है।

इस घटना के बाद कर्ज लगानेवालों की बकाया राशि की फेहरिस्त की जाँच करने पर वह कुल-की-कुल ब्याज की रकम दिखाई दी और नगरपालिका को एक पैसा भी उन्हें नहीं चुकाना पड़ा।

यद्यपि इस योजना से सभी सफाई-कर्मचारी ऋणमुक्त होकर अपनी मासिक आय को भोगने में समर्थ हो गये पर उनकी यह स्वतंत्रता अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। मुझे यह सूचना मिली की तनख्वाह की कुल रकम वे हप्ते दो हप्ते में शराब और ताड़ी पीने में खर्च करके फिर कर्ज के लिए उन्हीं कर्जदाताओं के आगे मुँहमाँगे ब्याज की दर पर कर्ज लेने को हाथ पसारने लगे। यह सूचना मिलने पर मैंने निश्चय किया कि अगली बार उन्हें तनख्वाह के रुपयों का आधा भाग, नकद न देकर, अनाज के रूप में दिया जायगा। यह क्रम कई महीने चलता रहा परंतु इसके बाद सरकार से नगरपालिका को भंग करने की कुचेष्टा की खबर पाकर और शिक्षकों की हड़ताल में व्यस्त हो जाने के कारण मैं इस व्यवस्था को आगे नहीं चला सका। इसमें न तो मुझे सफाई कर्मचारियों के यूनियन के मंत्री जमनाकांत का ही हार्दिक सहयोग मिलता था, न स्वयं सफाई कमचारियों का, जो अपने हित-अनहित के विषय में दूर तक नहीं सोच सकते थे।